न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं.17/2023

अपीलांट :– बनाम **रेस्पोडेंट :–**

1. लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी खारापार तहसील गिड़ा, हाल निवासी बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बलोतरा।

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, जसोल

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.2021 जो प्रकरण सं. 430/2021 नायब तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 21.05.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण सं. 430/2021 सरकार बनाम लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2021 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में दिनांक 21.04.2022 एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का बिठूजा द्वारा नायब तहसीलदार जसोल के समक्ष एक टी.पी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बिठुजा के खसरा नम्बर 573/35 व 10 रकबा 02.00 बीघा किस्म बारानी दोयम व गै.मु. रास्ता भूमि पर गैर सायल लक्ष्मणराम द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण कर लिया है जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार जसोल द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल का नोटिस तामिलसुदा

जिला कलक्टर
बालोतरा

प्राप्त बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। नायब तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 21.12.2021 के द्वारा 457/- रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 01.11.2023 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।
4. सरकार की ओर से मौका रिपोर्ट में कथन किया कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी ग्राम बिठूजा के अनुसार खसरा नंर 537/35 में नामान्तरकरण सख्या 3159 अनुसार रास्ता का अमलदरामद होने पर नवीन खसरा नं 1514/573 क्षेत्रफल 1.7645 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नं 1515/573 क्षेत्रफल 0.0971 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। खसरा नं 10 क्षेत्रफल 0.07686 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त खसरे राजकीय भूमि है। खसरा नंबर 573/35 पर चार दीवारी बनाकर तथा खसरा नंबर 10 की भूमि पर लक्ष्मणराम पुत्र मानाराम जाति जाट हाल निवासी बालोतरा द्वारा कब्जा किया हुआ है। जिस पर अतिकमी के विरूद्ध नियमानुसार राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई। ग्राम बिठूजा के खंसरा नंबर 35 का रकबा 20.03 बीघा था जो कि खातेदारी भूमि थी जिसमें से माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के मु.न. 243/91 आर टी ए 177 निर्णय दिनांक 25.08.1992 द्वारा खसरे में से 11-10 बीघा भूमि राजकीय घोषित की गई। नामान्तरकरण संख्या 1254 अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। शेष 8-13 बीघा खातेदारी भूमि बदस्तूर रही जो आदिनांक है। इसी कम में

जिला कलक्टर
बालोतरा

माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के मुकदना नंबर 157/2006 निर्णय दिनांक 21.07.2023 के द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय में संशोधन करते हुए 11–10 बीघा भूमि के स्थान पर 1–10 बीघा भूमि राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना होना शेष है।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि हल्का पटवारी बिठूजा द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध झूठा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत अधीनस्थ अधिकारी श्रीमान नायब तहसीलदार जसोल द्वारा दर्ज किया। ग्राम बिठूजा के खेसरा नंबर 35 का रकबा 20.03 बीघा था जो कि खातेदारी भूमि थी जिसमें से माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के मु.न. 243/91 आर टी ए 177 निर्णय दिनांक 25.08.1992 द्वारा खसरे में से 11–10 बीघा भूमि राजकीय घोषित की गई। नामान्तरकरण संख्या 1254 अनुसार रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। शेष 8–13 बीघा खातेदारी भूमि बदस्तूर रही जो आदिनांक है। इसी कम में माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के मुकदना नंबर 157/2006 निर्णय दिनांक 21.07.2023 के द्वारा पूर्ववर्ती निर्णय में संशोधन करते हुए 11–10 बीघा भूमि के स्थान पर 1–10 बीघा भूमि राजकीय भूमि घोषित करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना होना शेष है। अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अपीलांट व्यक्तिगत रूप से दिनांक 31.12.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में हाजिर हुआ है तथा अपीलांट ने जवाबदावा मय अपने दस्तावेज पेश करने हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने खाली आदेशिका पर अपीलांट को विश्वास में लेकर हस्ताक्षर करवाये तथा अपीलांट के न्यायालय से जाने के बाद उक्त खाली आदेशिका पर उक्त आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदावा व दस्तावेजात पेश करने हेतु अवसर नहीं दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मनगढत तथ्य गैर

जिला कलक्टर
बालोतरा

सायल ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया अतिक्रमण करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया। हल्का पटवारी बिठूजा ने राजनैतिक दबाव के चलते अपीलांट के द्वारा मौजा बिठूजा की सरकारी भूमि खसरा नंबर 573/35 व 10 किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर पक्का निर्माण चार दिवारी बनाकर अतिक्रमण व कब्जा करना बताते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। जबकि अपीलांट ने गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा हल्का पटवारी ने वर्तमान सरपंच के दबाव में रहते हुए गलत रिपोर्ट बनाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अधीनस्थ न्यायायलय ने न तो वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा न ही किसी पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, मात्र हल्का पटवारी के मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण में किसी के भी बयान आदि नहीं लिये गये है, यहां तक हल्का पटवारी के बयान भी दर्ज नहीं किये गये है तथा न ही अपीलांट को जवाब पेश करने व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलांट की सम्पति भू रूपान्तरित खसरा संख्या 564/32 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन आवासीय खसरा संख्या 567/32 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग, खसरा नंबर 570/34 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग तथा अपीलांट की पत्नी कमला चौधरी का खसरा संख्या 1388/33 रकबा 01.11 बीघा गैर मुमकिन उद्योग में हिस्सा 23276 वर्गफीट किस्म गैर मुमकिन उद्योग, खसरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या 1482/46 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन उद्योग एवं पट्टा संख्या 7477 दिनांक 17.10.2014 क्रमांक 2014006966 दिनांक 07.11.2014 भूमि अवस्थित है, जिस पर ही अपीलांट का कब्जा व स्वामित्व है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना पैमाईश करवाये गलत रूप से अपीलांट को अतिक्रमणी घोषित किया गया है। उक्त प्रकरण में किसी के भी बयान आदि नहीं लिये गये है, यहां तक हल्का पटवारी के बयान भी नहीं लिये गये। इस प्रकार अपीलांट को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय प्रारम्भ से ही अपीलांट को दण्डित करने का मानस बना चुका था, जिस कारण अपीलांट की अनुपस्थिति में ही अपीलांट को जुर्माना से दण्डित करते हुए बेदखल करने का निर्णय सुनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट को न्यायोचित तरीके से समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा आनन फानन में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तत्काल ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है एवं निरस्त करने योग्य है। अपीलांट की अपील स्वीकार करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 31.12.2021 को पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांटगण अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि अपीलांट ने इस अपील के द्वारा ग्राम बिठूजा में अपना कब्जा–अधिपत्य होना प्रकट किया है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, तहसीलदार पचपदरा, नगर परिषद बालोतरा के नेतृत्व में टीम गठित कर प्राप्त जांच एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिठूजा के खसरा संख्या 1514/573 व खसरा संख्या 10 पर अपीलांट का कब्जा पाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा राजकीय व रास्ते की भूमि पर विधि विरूद्ध कब्जा किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही लाई गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन प्रकरण संख्या 430 / 2021 आदेश दिनांक 31.12.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा